न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2019

1. सुगनी देवी पत्नि स्व० श्री देवकरण उम्र करीबन 63 वर्ष
2. त्रिलोक पुत्र स्व० श्री देवकरण उम्र करीबन 38 वर्ष
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व० श्री देवकरण उम्र करीबन 36 वर्ष
4. गणेश पुत्र स्व० श्री देवकरण उम्र करीबन 34 वर्ष
5. कनका देवी पत्नि स्व० रामरकण, आयु 39 वर्ष
6. अव्यस्क गोपाल पुत्र स्व० रामकरण आयु 7 वर्ष
7. अव्यस्क निशा पुत्री स्व० रामकरण आयु 5 वर्ष
8. अव्यस्क माया पुत्री स्व० रामकरण आयु 4 वर्ष
9. अव्यस्क पूजा पुत्री स्व० रामकरण आयु 2 वर्ष

सर्व जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती कनका देवी पत्नि स्व० रामकरण उम्र 39 वर्ष
सर्व जाति गुर्जर सर्व निवासीगण गुर्जरों का मौहल्ला, राजारेडी, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

10. चन्दा देवी पुत्री स्व० श्री देवकरण उम्र करीबन 42 वर्ष जाति गुर्जर निवासी सुधरखाना तहसील नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी:— श्री रामदेव गुर्जर

वकील अप्रार्थी :— श्री पैरोकार सरकार

दिनांक 27.08.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(अ), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया है जिसमें प्रार्थीया को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। परन्तु वाद के निस्तारण में समय लगना स्वभाविक है इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत सद्भाविक कृषक है एवं प्रार्थीगण का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य व पशुपालन है। प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी (जमना पुत्री मांगीलाल एवं मांगीलाल उर्फ मांगू पुत्र जवाना गुर्जर एवं प्रार्थीगण के पति / पिता देवकरण पुत्र मांगीलाल) के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग कि राजस्व ग्राम मदनगंज स्थित पूर्व खसरा नम्बर 421 किरम बारानी 2, खसरा नम्बर 624 रकबा 2 बीघा किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 626 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी 2 भूमि कुल खसरा 3 कुल रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारीगण सम्वत् 2030 से सम्वत 2068 एवं वर्तमान तक काबिज काश्त थे एवं प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारीगण के फौत होने के पश्चात् वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण सतत् रूप से लगातार / निर्बाध रूप से काबिज काश्त करते आ रहे है जो राजस्व रिकार्ड में पि—14 (खसरा परिवर्तशिल) में बतौर काश्त इन्द्राज है। प्रार्थीगण ने उपरोक्त आराजीयात में पक्के मकान व चारागृह बना हुआ है एवं शेष भूमि पर काश्त की जा रही है जो उपरोक्त आराजी में 5—6 दशको से भौतिक धारण कर काश्त की जा रही है एवं स्थाई अधिवास कर रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपरोक्त आराजीयात में प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारीगण एवं प्रार्थीगण सतत् रूप से लगातार 40–50 वर्षों से काबिज काश्त है एवं अजमेर जिले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो 1958 में लागू की गयी थी वरवक्त काश्तकारी अधिनियम के समय से काबिज काश्त करते आ रहे है यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है किसी आराजी पर 30 वर्षों से लगातार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त हो तो श्री सरकार के अधिकार धारा 63 (1) (4) के तहत अधिकार अवशान होकर प्रार्थीगण में निहित हो गये है जिसके लिये राजस्व मण्डल द्वारा आर०आर०टी० 2007 (2) पेज नम्बर 1041 में स्पष्टतः प्रावधान किया गया है प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारीगण एवं प्रार्थीगण सतत् रूप से काबिज काश्त होने के कारण सम्वत् 2012 से भी काबिज काश्त है इस कारण प्रार्थीगण धारा 19 के तहत् खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के कानूनन् अधिकारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए०आई०आर० 1998 पेज नम्बर 2276 एवं आर०वी० जे० 2012 पेज नम्बर 438 में स्पष्ट प्रावधान किये गये है जिसके अनुसार प्रार्थीगण उपरोक्त आराजीयात में खातेदारी उद्घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी वर्णित आराजी में विगत 40–45 वर्षों से निरन्तर अबाध रूप से काबिज रहने से प्रार्थीगण धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। संशोधित धारा 15 ए.ए.ए. में विधायिक द्वारा संशोधित किया गया कि अजमेर जिले में काश्तकारों के रिकॉर्ड में हुई विंसगतियों को सुधारा जा सके इस कारण से प्रार्थीगण के पक्ष में वाद वर्णित आराजी 17 बीघा की खातेदारी की प्रदान कर अधिकार अभिलेख में इन्द्राज करवाने के प्रार्थीगण कानूनन् अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व गुप–6 विभाग क्रमांकः/प.06 (39) राज.–6/2001/6 जयपुर दिनांक 07.06.2003 को श्रीमान् बी.एस. मीणा साहब शासन उप सचिव द्वारा परिपत्र जारी किया गया है कि यदि सरकारी भूमि पर विगत दो वर्षों का कब्जा रिकोर्ड से प्रमाणित होना चाहिए इसके स्थान पर यदि कोई पिछले दो वर्षों के बेदखली के नोटिस भी प्रस्तुत कर देता है तो उसे मान लिया जावे। जब कि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी विगत 40–50 वर्षों से उपरोक्त आराजी में काबिज काश्त होने का सिद्ध है। इस कारण से प्रार्थीगण के उपरोक्त आराजी में खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.–9 (6) राज.–5/2000/16 जयपुर दिनांक 16.10.2001 में अधिनियम पारित किया गया है कि जो विगत 10 वर्षों से सिवायचक, चरागाह भूमि में काबिज काश्त होने का व लगातार अतिक्रमण करने के कारण नियमन के अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त हैं। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राज्य सरकार द्वारा पारित समय समय पर परिपत्रों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की परिभाषा में इंगित किया गया है। राज्य सरकार का समय समय पर परिपत्र जारी करने का उद्देश्य जटिल विधि के सिद्धान्तों को सरलीकरण करके आम काश्तकारों को लाभ पहुंचाने की मंशा है जिससे आम काश्तकारों को आजीविका के स्त्रोत प्रदान करना है। इस प्रकार प्रार्थीगण सद्भाविक रूप से श्री सरकार से अपना अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी उपरोक्त वर्णित आराजी में विगत 40–45 वर्षों से लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त है अप्रार्थी द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करके प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है इसलिए अप्रार्थी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे एवं कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत, व्यवधान, रूकावट उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थी को पाबन्द फरमाया जावें। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर विगत 40–45 वर्षों से निरन्तर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि से अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को उक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगा। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से सम्पूर्ण श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र पर उचित न्याय शुल्क चरपा है। प्रार्थना पत्र में मियाद जैसा प्रश्न लागू नहीं होता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की आराजी राजस्व ग्राम मदनगंज स्थित पूर्व खसरा नम्बर 421 जिसके पूर्व खसरा नम्बर 624 रकबा 2 बीघा किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 626 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी 2 भूमि कुल खसरा 3 कुल रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करने हेतु अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाई जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

र्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2019 को दर्ज किया तथा नोटिस अप्रार्थी को वास्ते जाहिर करने की ह बाबत जारी किये गये। तहसीलदार किशनगढ द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के कथन अस्वीकार है कि ग्राम किशनगढ़ बी की जमाबन्दी संम्वत 2067–70 के खाता सं. 667 अनुसार ख. नं. 624 रकबा 0.3237 हैक्टर किस्म आबादी व ख.नं. 626 रकबा 1. 3759 किस्म आबादी नगर परिषद किशनगढ़ के नाम दर्ज है। शेष तथ्य प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करे। बिन्दु सं. 7 अस्वीकार है। कि ग्राम किशनगढ बी की जमाबन्दी संम्वत 2067–70 के खाता सं. 667 अनुसार ख. नं. 624 रकबा 0.3237 हैक्टर किस्म आबादी व ख.नं. 626 रकबा 1.3759 किस्म आबादी नगर परिषद किशनगढ़ के नाम दर्ज है। शेष तथ्य प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करे। प्रकरण मे राजहित प्रभावित होता अतः वाद पत्र खारीज योग्य है। दिनांक 26.08.2025 को वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिसका हमारे द्वारा अवलोकन किया गया।

दिनांक 25.08.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा धारा 212 राज.का.अधि. के प्रार्थना पत्र का तीन बिन्दुओं पर विवेचन किया गया।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि में प्रार्थी वर्तमान में खातेदार नहीं है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया है जिससे वादअधीन भूमि में उसका हक जाहिर हो, जबकि वादअधीन भूमि राजकीय भूमि (नगर परिषद के नाम) है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः– वादअधीन भूमि में प्रार्थी की खातेदारी दर्ज नहीं है, वादअधीन भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि (नगर परिषद के नाम) है जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है।

अपूरणीय क्षतिः– अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि में खातेदार नहीं है वादअधीन भूमि राजकीय भूमि (नगर परिषद के नाम) है जो कि अप्रार्थी के नाम दर्ज है, अपूरणिय क्षति अप्रार्थी का कारित है।

प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणिय क्षति को सिद्ध करने में असफल रहें है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अन्य बिन्दु वाद विचारण के दौरान तय किये जायेगें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)